अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

फा.सं.1-4/2026-हिं.अ. अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 24.09.2026

पृष्ठांकन

विषयः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की हिंदी गृह-पत्रिका "स्वास्थ्य सृजन" के तीसरे अंक में प्रकाशन हेतु रचनाएं भेजने की अवधि के विस्तार के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई.-11016/27/2021-हिंदी (का.) द्वारा प्रेषित पत्र की एक प्रति संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में कार्यरत सभी संकाय-सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु, एतद्वारा, पृष्ठांकित की जाती है।

संलग्नकः यथोपरि।

(पदम सिंह)
वित्त सलाहकार एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

वितरण:- सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपिः

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
2. चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव ।
3. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव ।
5. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
6. उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली।
7. प्रभारी-संकाय (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

अनुस्मारक-1

सं. ई-11016/27/2021-हिंदी(का.)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(राजभाषा प्रभाग)

*****

कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली

दिनांकः 21 सितंबर, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी गृह-पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के तीसरे अंक हेतु रचनाएं भेजने की अवधि के विस्तार के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 01 जून, 2026 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की गृह पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के तीसरे अंक में प्रकाशन के लिए रचनाएं 31 जुलाई, 2026 तक आमंत्रित की गई थी।

2. जो अधिकारी/कर्मचारी किन्हीं कारणों से अपनी रचनाएं अभी तक प्रेषित नहीं कर पाए हैं, वे सामग्री की हार्ड कॉपी दिनांक 20 अक्तूबर, 2026 तक संयुक्त निदेशक का कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कक्ष सं. 11109 सी-विंग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष 011-24013420) को तथा सॉफ्ट कॉपी ईमेल jd.mohfw@gov.in पर अवश्य भेज दें। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में आगे विस्तार नहीं किया जाएगा।

3. सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि इसे अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में अधिक से अधिक प्रसारित करें।

(डॉ. राजेश कपूर)

उप निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/ नियंत्रणाधीन कार्यालय और स्वायत्तशासी/ आयुर्विज्ञान संस्थान।

सं. ई-11016/27/2021-हिंदी(का.)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(राजभाषा प्रभाग)

*****

कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली

दिनांकः 01 जून, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की हिंदी गृह-पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के तीसरे अंक में प्रकाशन हेतु लेख और रचनाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी विषयों तथा साहित्यिक विधाओं पर केंद्रित हिंदी की गृह पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के तीसरे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अंक में कहानियों/ कविताओं/ लेखों और रचनाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा सार्वजनिक रोग-निदान और उपचार आदि से जुड़े विषयों का समावेश होगा। इसके लिए मंत्रालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके द्वारा हिंदी में लिखे गए लेख, निबंध तथा साहित्यिक रचनाएं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

2. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्तशासी उपक्रमों/ कार्यालयों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा और आयुर्विज्ञान संस्थानों के सभी अधिकारियों/ विशेषज्ञों/ चिकित्सकों/ कर्मचारियों और लेखकों से चिकित्सा, मेडिसिन, जन-स्वास्थ्य तथा अपने-अपने विशिष्ट विषयों पर सारगर्भित, लेख, निबंध तथा साहित्यिक रचनाएं आमंत्रित हैं, जिन्हें उपयुक्त पाए जाने पर पत्रिका में शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में विशेष उल्लेख है कि रचनाएं मूल रूप से हिंदी में लिखी होनी चाहिए अथवा स्वयं लेखक द्वारा अनूदित हों। मशीनी/ इंटरनेट के जरिए किए गए अनुवाद को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पत्रिका की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से सर्वोत्कृष्ट पांच लेखों और पांच कविताओं के प्रत्येक रचनाकार को पुरस्कार स्वरूप 3000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार के लिए चयनित रचना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई होगी तो पुरस्कार की यह राशि एक समान विभाजित करके प्रदान की जाएगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

4. प्रकाशन के लिए भेजी गई सामग्री हिंदी भाषा में तथा यूनिकोड फॉट में टंकित होनी चाहिए। प्रेषित सामग्री के साथ लेखक की ओर से मौलिक रचना का प्रमाण-पत्र (**नमूना संलग्न**) और पासपोर्ट आकार का फोटो भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अत: अनुरोध है कि सामग्री हार्ड कॉपी में **दिनांक 31 जुलाई, 2026** तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कक्ष सं. 11109-सी विंग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष 011-24013420) को तथा सॉफ्ट कॉपी ईमेल: jd.mohfw@gov.in पर भेज दी जाए।

(बिनोद कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष 011-24013420

वितरण:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/ नियंत्रणाधीन कार्यालय और स्वायत्तशासी/ आयुर्विज्ञान संस्थान।